

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2024-25

विभाग का नाम-महिला कल्याण विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.-05 लैंगिक समानता

धनराशि (रु लाख में )

| क्र. सं.                   | योजना का नाम  | योजना का उद्देश्य  | आउट ले  |         | 01.4.2023 की वास्तविक स्थिति(भौतिक)  | 31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)                             | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024-25  | परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2024-25   | समय सीमा |
|----------------------------|---|--|---------|---------|--|--|--|---|----------|
|                            |   |  | राजस्व  | पूँजीगत |  |  |  |   |          |
| <b>केन्द्र पोषित योजना</b> |   |  |         |         |  |  |  |   |          |
| 1                          | चाइल्ड हेल्पलाईन (100 प्रतिशत केन्द्रांश)                       | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित चाइल्ड हेल्पलाईन जो जरूरतमंद बच्चो देख-भाल एवं सुरक्षा के लिए 24 घण्टे मुफ्त आपातकालीन फोन और आउटरिच सेवा प्रदान करना          | 300.00  | 0       | समस्त 13 जनपद व 01 राज्य स्तर पर अधिष्ठान संचालित है।  | समस्त 13 जनपद व 01 राज्य स्तर पर अधिष्ठान संचालित है।            | गुमशुदा एवं सामाजिक उत्पीडन से ग्रसित बालको को तात्कालिक सेवाए प्रदान किया जाना                                    | बच्चो का तात्कालिक सेवा प्रदान कर सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना।  |          |
| 2                          | मिशन वात्सल्य योजना (90:10)                                     | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/ किशोरियो की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/ संस्थाओ का संचालन | 1500.00 | 0       | 41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाए   | 41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाए                                       | निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदो के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल संचालन किया जायेगा।                     | बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड के बालको की सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हुआ है। |          |
|                            |   |  | 150.00  |         |  |  |  |   |          |
| 3                          | गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप/ फॉस्टर केयर/ऑफ्टर केयर (90:10) | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप/ फॉस्टर केयर/ऑफ्टर केयर के अन्तर्गत  | 50.00   | 0       | राज्य के अनाथ निराश्रित तथा ऐसे बालक जिनके माता पिता गम्भीर बीमारी से ग्रसित है अथवा कारागार में निरुद है को शिक्षा, भरण-पोषण हेतु 4000 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना | राज्य के 835 बच्चो को स्पॉन्सरशिप के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया | योजना से आच्छादित बालको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सकारात्मक सुधार हुआ है। शिक्षा सुचारु रूप से चल पा रही है। | योजना से आच्छादित बालको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सकारात्मक सुधार हुआ है।                     |          |
|                            |   |  | 14.40   |         |  |  |  |   |          |

|   |   |  |       |      |   |   |  |  |  |
|---|---|--|-------|------|---|---|--|--|--|
| 4 | स्वच्छता एक्सन प्लान (90:10)                        | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित स्वच्छता एक्सन प्लान के अन्तर्गत संस्थाओं में अनाथ एवं निराश्रित बालको हेतु संचालित विभागीय संस्थाओं में साफ-सफाई, पेंटिंग, बाग बगीचा लगाना आदि                    | 52.20 | 0    | संस्थाओं में बाल मैत्री वातावरण तैयार किया जाना | समस्त संस्थाओं की साफ-सफाई एवं बाल मैत्री वातावरण तैयार करने हेतु पेंटीग कराई गई। | उक्त योजना से समस्त संस्थाओं की साफ-सफाई एवं बाल मैत्री वातावरण तैयार कर स्वास्थ्य वातावरण तैयार किया गया।                                       | संस्थाओं में निवासरत बालको के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में सकारात्मक सुधार हुआ है। साफ सफाई व प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करना |  |
|   |   |  | 5.80  |      |   |   |  |  |  |
| 5 | शक्ति सदन (90:10)                                   | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित उज्ज्वला एवं स्वधार गृह में निवासरत महिलाओं हेतु ताल्कालिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनुदान दिया जाना | 98.89 | 0    | 2   | 2   | स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित उज्ज्वला एवं स्वधार गृह में निवासरत महिलाओं हेतु ताल्कालिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनुदान दिया जाना | राज्य की महिलाओं के जीवन यापन में सुधार हुआ है।  |  |
|   |   |  | 10.98 |      |   |   |  |  |  |
| 6 | मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत गृहों का निर्माण (90:10) | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण                              | 0     | 0.01 | 0   | 0   | बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण   | संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी  |  |
|   |   |  |       | 0.01 |   |   |  |  |  |

|                            |   |   |         |       |  |  |  |   |  |
|----------------------------|---|---|---------|-------|--|--|--|---|--|
| 7                          | बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण (90:10) | भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के कार्यालयों का निर्माण कराया जाना  | 0       | 50.00 | 1                                      | 1  | बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण  | बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के कार्यालयों से राज्य की स्थिति बेहतर होगी  |  |
| <b>राज्य पोषित योजनाएं</b> |   |   |         |       |  |  |  |   |  |
| 8                          | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना  | राज्य में 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों को माह जुलाई, 2021 से रु 3000/प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। | 2064.00 | 0     | 6256 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया | 6083 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। | राज्य में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बालकों की शिक्षा एवं जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है और बालकों का समुचित विकास सम्भव हो पाया है। | उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे। बच्चों का अच्छी प्रकार से भरण-पोषण हो पा रहा है, साथ ही शिक्षा पूर्ण कर पा रहे हैं। |  |
| 9                          | परिवीक्षा सेवा क्षेत्र  | महिला कल्याण के अन्तर्गत महिलाओं/किशोरों हेतु संचालित संस्थाओं/कार्यालयों व किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम/किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर समीक्षा/मार्ग दर्शन   | 407.06  | 0     | 13 कार्यालय                            | 13 कार्यालय                                | राज्य के समस्त 13 जनपदों में विभागीय कार्यालयों का सफल संचालन किया जायेगा  | महिल व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी   |  |

|    |  |  |        |   |             |             |   |   |  |
|----|--|--|--------|---|-------------|-------------|---|---|--|
| 10 | बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना            | विधि विवादित किशोर/किशोरियो हेतु कोर्ट बोर्ड की स्थापना के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण  | 57.56  | 0 | 07 कार्यालय | 07 कार्यालय | राज्य के 07 जनपदों में बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड के कार्यालयों का सफल संचालन किया जा रहा है। | विधि विरुद्ध श्रेणी के बच्चों व उनके परवादों को त्वरित न्याय मिलेगा |  |
| 11 | संस्थाओं/गृहों का संचालन                     | 18 वर्ष के जरूरतमन्द किशोर/किशोरियो तथा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं हेतु गृहों का संचालन करते हुए संवासियों को आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।      | 985.61 | 0 | 09 संस्थाएं | 09 संस्थाएं | राज्य में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं व महिला गृहों का सफल संचालन होगा                    | महिला बाल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की स्थिति बेहतर होगी         |  |
| 12 | स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन          | वर्तमान में लागू नहीं है। कूड़ा बीनने वाले/भिक्षा वृत्ति में लगे किशोरों हेतु आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं फिलहाल बाल संरक्षण सेवाएं योजना में ओपन शेल्टर के माध्यम से प्रदान की जाती है। | 0.01   | 0 | 0           | 0           | योजना लागू नहीं है।   | योजना लागू नहीं है।   |  |
| 13 | किशोर न्याय निधि की स्थापना                  | किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अन्तर्गत जरूरतमन्द किशोर/किशोरियो के पुनर्वासन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।   | 5.00   | 0 | 0           | 0           | उत्तराखण्ड राज्य में किशोर न्याय निधि का सफल संचालन                                       | बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी          |  |
| 14 | महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना | महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु   | 0.01   | 0 | 01 अधिष्ठान | 01 अधिष्ठान | राज्य महिलाओं के संरक्षण हेतु योजनाओं का मूल्यांकन  | उत्तराखण्ड की महिला संरक्षण के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी        |  |

|    |   |   |        |   |                   |                   |  |  |  |
|----|---|---|--------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 15 | अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अधीन उद्धार संगठन                        | अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महिलाओं के पुनर्वासन हेतु मण्डल स्तर पर कार्यालयों की स्थापना   | 0.14   | 0 | 02 अधिष्ठान       | 02 अधिष्ठान       | महिला संरक्षण हेतु दो अधिष्ठानों का सफल संचालन किया जायेगा                               | महिला के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी               |  |
| 16 | मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन                       | मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन करते हुए उन्हें आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, प्रशिक्षण मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। | 221.01 | 0 | 01 अधिष्ठान       | 01 अधिष्ठान       | महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र का सफल संचालन   | महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी             |  |
| 17 | विभिन्न विभागीय अर्न्तवासियों का पुनर्वासन                                      | राजकीय महिला गृहों से मुक्त होने पर महिला को पुनर्वासन हेतु कौशल्या डबराल संवासिनी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल रु 21000/- प्रदान किये जाते हैं।          | 4.00   | 0 | 5                 | 5                 | महिला गृहों से मुक्त होने पर 10 महिलाओं को पुनर्वासन किया जायेगा                         | महिला संरक्षण व आजीविका के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी। |  |
| 18 | महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति/छात्रवेतन                                 | वर्तमान में लागू नहीं है।   | 0.01   | 0 | 0                 | 0                 | योजना लागू नहीं  | योजना लागू नहीं  |  |
| 19 | महिला कल्याण निदेशालय   | महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिलाओं/किशोरों की याजनाओं की राज्य में निदेशालय स्तर से समीक्षा/मार्ग दर्शन  | 257.89 | 0 | 01 अधिष्ठान       | 01 अधिष्ठान       | महिला कल्याण निदेशालय के माध्यम से महिला व बाल संरक्षण की विभागीय योजनाओं का सफल संचालन। | महिला व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी      |  |
| 20 | मानसिक रूप से विक्रिप्त व्यक्तियों एवं महिलाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून में निवासरत मानसिक रूप से विक्रिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख हेतु स्वैच्छिक संस्था को सहायता  | 62.00  | 0 | 2 स्वैच्छिक संगठन | 2 स्वैच्छिक संगठन | महिला कल्याण व पुनर्वासन केन्द्र का संचालन   | महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी            |  |

|    |  |   |         |        |             |             |  |  |
|----|--|---|---------|--------|-------------|-------------|--|--|
| 21 | स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण   | वर्तमान में लागू नहीं है।   | 0       | 0.01   | 0           | 0           | योजना लागू नहीं है।  | योजना लागू नहीं है।  |
| 22 | 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरो हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहो का निर्माण                | किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत अनाथ एवं निराश्रित बच्चो हेतु गृहो का निर्माण कराया जाता है।                | 0       | 200.00 | 2           | 2           | उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी | बच्चो के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी |
| 23 | किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत गृहो का निर्माण             | किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशरत किशोर/किशोरियो हेतु आवासीय गृहो का निर्माण                         | 0       | 100.00 | 2           | 2           | उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी | बच्चो के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी |
| 24 | 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओ/ महिलाओ हेतु राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृहो का निर्माण | किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओ हेतु उत्तर रक्षा गृहो का आवासीय निर्माण | 0       | 0      | 1           | 1           | जनपद अल्मोडा में शिशु सदन की चाहर दीवाही का निर्माण                                    | संस्था में निवासरत बच्चो की सुरक्षा व्यवस्था हेतु                        |
|    | अनुदान संख्या-15 का योग  |   | 6246.57 | 368.24 |             |             |  |  |
| 25 | राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50:50)  | योजना लागू नहीं   | 0.02    | 0      | 01 अधिष्ठान | 01 अधिष्ठान | योजना लागू नहीं  | योजना लागू नहीं  |
|    | अनुदान संख्या-30 का योग  |   | 0.02    | 0      |             |             |  |  |
|    | अनुदान संख्या-15 व 30 का योग   |   | 6246.59 | 368.24 |             |             |  |  |

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

विभाग का नाम: महिला कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0-05 लैंगिक समानता

| क्र.स. | SDG संकेतक   | 1.4.2023 की स्थिति<br>(भौतिक स्थिति) | 31.3.2024 की सम्भावित<br>स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित आउटपुट<br>(भौतिक स्थिति)<br>2024-25 | परिकल्पित आउटकम (भौतिक<br>स्थिति) 2024-25                        |
|--------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| 1      | राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून में निवासरत मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनयो की समुचित देखरेख हेतु स्वैच्छिक संस्था को सहायता | 132                                  | 132                                     | 140   | 140 मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओ की समुचित देखरेख हेतु         |
| 2      | मुख्यमंत्री वात्सलय योजना  | 6219                                 | 6083                                    | 6083  | कोविड काल में अनाथ हुए बालको के भरण पोषण, शिक्षा आदि हेतु अनुदान |

